रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 202] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 13, 2005/वैशाख 23, 1927
No. 202] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 13, 2005/VAISAKHA 23, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2005

सं० 20/2005-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 293(अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 कर 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, इस अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 (1986 का 5) के उपशीर्ष या टैरिफ मद जो इस अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट है, के अंतर्गत आने वाले माल को, उतने उत्पाद शुल्क से छूट देती है, जो कि स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट दर से अधिक हो ।

सारणी

क्रम सं0	अध्याय और शीर्ष और उपशीर्ष और टैरिफ मद	माल का विवरण	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1701	चीनी (खांडसारी चीनी के सिवाय) जिसका कि सरकार द्वारा अधिनियम 1955 (1955 का 10) खंड (च) उपधारा (2) की धारा 3 के अंतर्गत बेचना अनिवार्य है ।	21 रूपये प्रति क्विंटल
2	2401	अविनिर्मित तम्बाकू, तम्बाकू उच्छिष्ट, जिसका कोई ब्रांड नाम नहीं है	कुछ नहीं
3	2403 10 10	हुक्का और गुड़कू तम्बाकू, जिसका कोई ब्रांड नाम नहीं है	कुछ नहीं
4	2403 10 90	अन्य माल, जिसका कोई ब्रांड नाम नहीं है	कुछ नहीं
5	2403 99 90	सभी माल जिसका कोई ब्रांड नाम नहीं है (तम्बाकू सहित पान मसाला के सिवाय)	कुछ नहीं

स्पष्टीकरणः इस अधिसूचना के क्रम सं0 2,3,4 और 5 के प्रयोजनार्थ, ' ब्रांड नाम' से ऐसा कोई ब्रांड नाम चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, अर्थात कोई नाम या चिन्ह जैसे प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कृत शब्द या कोई लेख अभिप्रेत है, जो किसी उत्पाद के संबंध में व्यापार के अनुक्रम में, उत्पाद और ऐसे किसी व्यक्ति के जो उस व्यक्ति की पहचान के किसी संकेत से या उसके बिना उस नाम या चिन्ह का प्रयोग कर रहा संबंध को उपदर्शित करने के प्रयोजनों के लिए या ऐसा उपदर्शन करने के लिए प्रयोग किया जाता है ।

[फा0सं0 4/3/2005- सीएक्स-1 (पार्ट v)]

वि. शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2005

No. 20/2005-CENTRAL EXCISE

G.S.R. 293(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods specified in column (3) of the Table below and falling within the chapter or heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) as specified in column (2) of the said Table, from so much of the additional duties of excise leviable under the said Act, as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table.

TABLE

S. No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item	Description of goods	Rate of duty
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1701	Sugar (other than Khandsari sugar), required by the Central Government to be sold under clause (f) of sub-section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955)	Rs.21/- per quintal
2.	1701	Cane jaggery	Nil
3.	2401	Un-manufactured tobacco or tobacco refuse, other than bearing a brand name	Nil
4.	2403 10 10	Hookah or gudaku tobacco, other than bearing a brand name	Nil
5.	2403 10 90	Other goods, other than bearing brand name	Nil
6.	2403 99 90	All goods other than bearing a brand name (other than pan masala containing tobacco)	Nil

Explanation.- For the purposes of S.Nos.2, 3, 4 and 5 of this notification, 'brand name' means a brand name, whether registered or not, that is to say, a name or a mark, such as a symbol, monogram, label, signature or invented words or any writing which is used in relation to a product, for the purpose of indicating, or so as to indicate, a connection in the course of trade between the product and some person using such name or mark with or without any indication of the identity of that person

[F. No.4/3/2004–CX.1 (pt.V)]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2005

सं० 21/2005-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 294(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की धारा 136 के उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, इस अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) के उपशीर्ष या टैरिफ मद जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट है के अंतर्गत आने वाले माल को उक्त वित्त अधिनियम की धारा 136 के उपधारा (1) के अंतर्गत उद्ग्रहणीय संपूर्ण राष्ट्रीय आपदा राहत शुल्क से छूट देती है ।

सारणी

क्रम सं0	अध्याय और शीर्ष और उपशीर्ष और टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1	2403 10 10	हुक्का और गुड़कू तम्बाकू, जिसका कोई ब्रांड नाम नहीं है
2	2403 10 90	अन्य धूम्रपान वाला तंबाकू, जिसका कोई ब्रांड नाम नहीं है
3	2403 91 00	" समांगीकृत" या " पुर्नरचित" तंबाकू, जिसका कोई ब्रांड नाम नहीं है
4	2403 99 60	तंबाकू निष्कर्ष और सत, जिसका कोई ब्रांड नाम नहीं है
5	2403 99 90	सभी माल जिसका कोई ब्रांड नाम नहीं है (तम्बाकू सहित पान मसाला के सिवाय)
6	8703	चालक सहित सात व्यक्तियों तक के वाहन के लिए बनाये गये तिपहिया वाहन
7	8704	सामान को ढ़ोने वाले मोटर वाहन जो पेट्रोल पर नहीं चलते और तिपहिया वाहन
8	8706 00 31	चालक सहित सात व्यक्तियों तक के वाहन के लिए बनाये गये तिपहिया वाहन की चैसिस

स्पष्टीकरणः इस अधिसूचना के क्रम सं0 2,3,4 और 5 के प्रयोजनार्थ, ' ब्रांड नाम' से ऐसा कोई ब्रांड नाम चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, अर्थात कोई नाम या चिन्ह जैसे प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कृत शब्द या कोई लेख अभिप्रेत है, जो किसी उत्पाद के संबंध में व्यापार के अनुक्रम में, उत्पाद और ऐसे किसी व्यक्ति के जो उस व्यक्ति की पहचान के किसी संकेत से या उसके बिना उस नाम या चिन्ह का प्रयोग कर रहा संबंध को उपदर्शित करने के प्रयोजनों के लिए या ऐसा उपदर्शन करने के लिए प्रयोग किया जाता है ।

[फा0सं0 4/3/2004-सीएक्स 1(पार्ट V)]

वि. शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2005

No. 21/2005-CENTRAL EXCISE

G.S.R. 294(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with sub-section (3) of section 136 of the Finance Act, 2001 (14 of 2001), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods specified in column (3) of the Table below and falling within the heading, sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), specified in the column (2) of the said Table, from the whole of the National Calamity Contingent duty leviable under sub-section (1) of section 136 of the said Finance Act.

TABLE

S. No.	Heading or sub-heading or tariff item	Description of goods
(1)	(2)	(3)
1.	2403 10 10	Hookah or gudaku tobacco, other than bearing a brand name
2.	2403 10 90	Other smoking tobacco, other than bearing brand name
3.	2403 91 00	"Homogenised" or "reconstituted" tobacco, other bearing a brand name
4.	2403 99 60	Tobacco extracts and essence, other bearing a brand name
5.	2403 99 90	All goods not bearing a brand name (other than pan masala containing tobacco)
6.	8703	Three wheeled vehicles, meant for the transport of not more than seven persons including the driver
7.	8704	(i) Motor vehicles for transport of goods other than petrol driven (ii) Three wheeled motor vehicles
8.	8706 00 31	Chassis of three wheeled vehicles for transport of not more than 7 persons.

Explanation.- For the purposes of this notification, 'brand name' means a brand name, whether registered or not, that is to say, a name or a mark, such as a symbol, monogram, label, signature or invented words or any writing which is used in relation to a product, for the purpose of indicating, or so as to indicate, a connection in the course of trade between the product and some person using such name or mark with or without any indication of the identity of that person

[F. No.4/3/2004–CX.1 (pt.V)]
V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2005

सं० 22/2005-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 295(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, इस अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिट अधिसूचना जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिट है ।

सारणी

क्रम सं0	अधिसूचना सं0 और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1	6/2005-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005 (सा0का0नि0 126 (अ), तारीख 1 मार्च, 2005	उक्त अधिसूचना में, उदेशिका में,- (i) शब्दों अंकों और कोठक "वित्त विधेयक, 2005 के खंड 85 के उपखंड (3) के, जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोाणा के परिणामस्वरूप विधि का बल रखता है" के स्थान पर शब्द और अंक " वित्त अधिनियम, 2005 (2005 का 18) की धारा 85 की उपधारा (3)" प्रतिस्थापित किया जायेगा; (ii) शब्दों अंकों और कोठक " वित्त विधेयक, 2005 के खंड 85 के उपखंड (1) के, जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधोन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोाणा के परिणामस्वरूप विधि का बल रखता है" के स्थान पर शब्द और अंक " वित्त अधिनियम, 2005(2005 का 18) की धारा 85 की उपधारा (1)" प्रतिस्थापित किया जायेगा

<table>
<tr><td>2</td><td>23/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 31 मार्च, 2003 (सा0का0नि0 266 (अ), तारीख 31 मार्च, 2005</td><td>उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम सं0 (1) और उससे संबंधित प्रविटियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-
<table>
<tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th><th>(5)</th></tr>
<tr><td>"1</td><td>कोई अध्याय</td><td>सभी माल</td><td>उक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (1) के परंतुक के साथ पठित, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त सीमाशुल्क के बराबर उसपर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क ।</td><td>- ";</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3</td><td>9/2005-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005 (सा0का0नि0 129 (अ), तारीख 1 मार्च, 2005</td><td>उक्त अधिसूचना में, उदेशिका में, शब्दों अंकों और कोठक "वित्त विधेयक, 2005 के खंड 72 द्वारा, जो अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोाणा के परिणामस्वरूप विधि का बल रखता है, यथासंशोधित " का लोप किया जायेगा ।</td></tr>
</table>

[फा. सं. 334/1/2005-टीआरयू]

वि. शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

टिप्पण :

(1) मूल अधिसूचना सं0 6/2005-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005 में, जो भारत के राजपत्र में (सा0का0नि0 126 (अ), तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

(2) मूल अधिसूचना सं0 23/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 31 मार्च, 2003 में, जो भारत के राजपत्र में (सा0का0नि0 266 (अ), तारीख 31 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसका अंतिम संशोधन सा0का0नि0 128 (अ) तारीख 1 मार्च, 2005 को द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 8/2005-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा किया गया था ।

(3) मूल अधिसूचना सं0 9/2005-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005 में, जो भारत के राजपत्र में (सा0का0नि0 129 (अ), तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2005

No. 22/2005-CENTRAL EXCISE

G.S.R. 295(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that the following notifications of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table below, shall be amended in the manner and to the extent specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

1503 GI/05-2

TABLE

<table>
<tr><th>S.No.</th><th>Notification No. and date</th><th>Amendments</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>6/2005-Central Excise, dated the 1st March, 2005 [G.S.R. 126(E), dated the 1st March, 2005]</td><td>In the said notification, in the preamble,-
(i) for the portion beginning with the words, brackets and figures "sub-clause (3) of clause 85" and ending with the words "the force of law", the words, brackets and figures "sub-section (3) of section 85 of Finance Act, 2005 (18 of 2005)" shall be substituted;
(ii) for the words, brackets and figures "sub-clause (1) of clause 85 of the said Finance Bill, 2005", the words, brackets and figures "sub-section (1) of section 85 of the said Finance Act" shall be substituted.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>23/2003-Central Excise, dated the 31st March, 2003 [G.S.R. 266 (E), dated the 31st March, 2003]</td><td>In the said notification, in the Table, for S.No.1 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-
<table>
<tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th><th>(5)</th></tr>
<tr><td>"1.</td><td>Any chapter</td><td>All goods</td><td>Duty of excise leviable thereon as is equivalent to the additional duty of customs leviable on such goods under sub-section (5) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), read with the proviso to sub-section (1) of section (3) of the said Central Excise Act."</td><td>-"</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>9/2005-Central Excise, dated the 1st March, 2005 [G.S.R. 129(E), dated the 1st March, 2005]</td><td>In the said notification, in the preamble, the portion beginning with word and figure "as amended by clause 72" and ending with words "the force of law," shall be omitted.</td></tr>
</table>

[F.No.334/1/2005-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

NOTE:— (1)The principal notification number 6/2005-Central Excise, dated the 1st March 2005 was published in the Gazette of India, vide number 126(E), dated the 1st March 2005.

(2) The principal notification number 23/2003-Central Excise dated the 1st March 2003 was published in the Gazette of India, vide number 266(E), dated the 31st March 2003, and was last amended vide notification number 8/2005-Central Excise, dated the 1st March, 2005, published in the Gazette of India vide number G.S.R. 128(E), dated the 1st March, 2005.

(3) The principal notification number 9/2005-Central Excise, dated the 1st March 2005 was published in the Gazette of India, vide number 129(E), dated the 1st March 2005.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई 2005

सं० 23/2005-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन. टी.)

सा.का.नि. 296(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2005 (2005 का 18) की धारा 85 की उपधारा (3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, ऐसे अंतिम उत्पाद के जिसपर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क वित्त अधिनियम, 2005 की धारा 85 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय है, विनिर्माण में उनके उत्पादन के कारखाने के भीतर उत्पादित और प्रयुक्त सभी माल को उक्त वित्त अधिनियम, 2005 की धारा 85 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है ।

[फा. सं. 334/1/2005-टीआरयू]

वि. शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2005

No. 23/2005-CENTRAL EXCISE

G.S.R. 296(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with sub-section (3) of section 85 of the Finance Act, 2005 (18 of 2005), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all goods, produced and used within the factory of their production in the manufacture of final product on which additional duty of excise is leviable under sub-section (1) of section 85 of the said Finance Act, from the whole of the additional duty of excise, leviable under said sub-section (1) of section 85 of the said Finance Act.

[F.No. 334/1 /2005-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2005

सं० 24/2005-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 297(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को, उन बातों के सिवाय जो ऐसे विखंडन से पूर्व की गई है या जिन्हें करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है, अर्थात:–

1. **अधिसूचना सं0 7/2005–केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005 जो कि भारत के राजपत्र, सा0 का0 नि0 126 (अ), के अंतर्गत तारीख 1 मार्च, 2005 को प्रकाशित हुई थी ।**

2. **अधिसूचना सं0 12/2005–केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005 जो कि भारत के राजपत्र, सा0 का0 नि0 132 (अ), के अंतर्गत तारीख 1 मार्च, 2005 को प्रकाशित हुई थी ।**

[फा. सं. 334/1/2005-टीआरयू]

वि. शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2005

No. 24/2005-CENTRAL EXCISE

G.S.R. 297(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue),except as respects things done or omitted to be done before such rescission, namely:-

(i) No. 7/2005-Central Excise, dated the 1st March 2005, which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 126(E), dated the 1st March 2005;

(ii) No. 12/2005-Central Excise, dated the 1st March 2005, which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 132(E), dated the 1st March 2005.

[F.No. 334/1 /2005-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2005

सं० 22/2005-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन. टी.)

सा.का.नि. 298(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय (छठा संशोधन), नियम, 2004 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 में,-

(अ) उपनियम (1) में,-

(I) खंड (viiक) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" (viiक) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क :

परंतु कराधेय सेवा प्रदाता ऐसे अतिरिक्त शुल्क का प्रत्यय करने का पात्र नहीं होगा ;";

(II) खंड (xi) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(xi) वित्त अधिनियम, 2005 की धारा 85, के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क ।";

(आ) उपनियम (4) में तीसरे और चौथे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" परंतु यह भी कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क के किसी प्रत्यय का किसी उत्पादन सेवा पर सेवाकर के संदाय के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा :

परंतु यह भी कि वित्त अधिनियम, 2005 की धारा 85, के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क के प्रत्यय से भिन्न उपनियम (1) में वर्णित किसी शुल्क के केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय का उपयोग अंतिम उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क के संदाय के लिए नहीं किया जाएगा ।" ।

(इ) उपनियम (7) के खंड (ख) में शब्दों अंकों और कोष्ठक "वित्त विधेयक, 2005 के खंड 85 के, जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के परिणामस्वरूप विधि का बल रखता है" दोनो जगह पर, के स्थान पर शब्द और अंक " वित्त अधिनियम, 2005 की धारा 85," प्रतिस्थापित किया जायेगा

3. उक्त नियमों के नियम 4 में, उपनियम (2) में, खंड (क) के दूसरे परंतुक में शब्दों अंकों और कोष्ठक "वित्त विधेयक, 2005 के खंड 72 के, जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के परिणामस्वरूप विधि का बल रखता है, द्वारा यथाअंतः स्थापित" का लोप किया जायेगा ।

4. उक्त नियमों के नियम 5 में, शब्दों अंकों और कोष्ठक "वित्त विधेयक, 2005 के खंड 72 के, जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के परिणामस्वरूप विधि का बल रखता है, द्वारा यथाअंतः स्थापित" का लोप किया जायेगा ।

[फा. सं. 334/1/2005-टीआरयू]

वि. शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं.23/2004-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 10 सितम्बर, 2004 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 600(अ), तारीख 10 सितम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन सा.का.नि. 261 (अ), तारीख 2 मई, 2005 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 20/2005-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख तारीख 2 मई, 2005 द्वारा किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2005

No. 22/2005-CENTRAL EXCISE (N. T.)

G.S.R. 298(E).— In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the CENVAT Credit Rules, 2004, namely:-

1. (1) These rules may be called the CENVAT Credit (Sixth Amendment) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the CENVAT Credit Rules, 2004 (herein after referred to as the said rules), in rule 3 of the said rules,-

(a) in sub-rule (1),-

(i) in clause (viia), the portion beginning with the words and figures "as substituted by clause 72" and ending with the words "the force of law", shall be omitted;

(ii) in clause (xi), for the portion beginning with the word and figures "clause 85" and ending with the words "the force of law", the words, figures and brackets "section 85 of Finance Act, 2005 (18 of 2005)" shall be substituted;

(b) in sub-rule (4),-

(i) in the third proviso, the portion beginning with the words and figures "as substituted by clause 72" and ending with the words "the force of law,", shall be omitted;

(ii) in the fourth proviso, for the portion beginning with the word and figures "clause 85" and ending with the words "the force of law", the words, figures and brackets "section 85 of Finance Act, 2005 (18 of 2005)" shall be substituted;

(c) in sub-rule (7), in clause (b), for the portion beginning with the word and figures "clause 85" and ending with the words "the force of law", occurring at both the places, the words, figures and brackets "section 85 of Finance Act, 2005 (18 of 2005)" shall be substituted;

3. In rule 4 of the said rules, in sub-rule (2), in clause (a), in second proviso, the portion beginning with the words and figure "as amended by clause 72" and ending with the words "the force of law,", shall be omitted;

4. In rule 5 of the said rules, in second proviso, the portion beginning with the words and figures "as amended by clause 72" and ending with the words "the force of law,", shall be omitted;

[F.No. 334/1 /2005-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

Note: The principal rules were notified *vide* notification No. 23/2004-Central Excise (N.T.), dated the 10th September, 2004, and published in the Gazette of India Extraordinary *vide* number G.S.R.600 (E), the 10th September, 2004 and last amended *vide* notification No. 20/2005-Central Excise (N.T.), dated the 2nd May, 2005 and published vide number G.S.R.261(E), dated the 2nd May, 2005.

1503 GI/05-3

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2005

सं० 42/2005-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 299(अ).—केन्द्रीय सरकार, **सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम** 1975 (1975 का 51) **की धारा** 3 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है ,**भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 19/2005–सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005 [सा0 का0 नि0 117 (अ), तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा भारत के राजपत्र, द्वारा प्रकाशित की गई थी] में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:–**

उक्त अधिसूचना के, प्रस्तावना में, वाक्यांश "वित्त विधेयक, 2005 के खंड 72 द्वारा, जो अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के परिणामस्वरूप विधि का बल रखता है, यथासंशोधित" का लोप किया जाता है ।

[फा. सं. 334/1/2005-टीआरयू]

वि. शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में सा0का0नि0 सं0 117 (अ) तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2005

No. 42/2005-CUSTOMS

G.S.R. 299(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 19/2005- Customs, dated the 1st March, 2005, and published in the Gazette of India vide number G.S.R. 117(E), dated the 1st March, 2005, namely:-

In the said notification, in the preamble, the portion beginning with the words and figures "as amended by clause 72" and ending with the words "the force of law,", shall be omitted.

[F.No 334/1/2005- TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 117(E), dated the 1st March, 2005

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2005

सं० 43/2005-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 300(अ).—केन्द्रीय सरकार, **सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम** 1975 (1975 का 51) **की धारा** 3 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है ,**भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 39/2005–सीमाशुल्क, तारीख 2 मई, 2005 [सा0 का0 नि0 265 (अ), तारीख 2 मई, 2005 द्वारा भारत के राजपत्र, द्वारा प्रकाशित की गई थी] में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:–**

उक्त अधिसूचना के, प्रस्तावना में, वाक्यांश "जो कि वित्त विधेयक, 2005 के खंड 72 द्वारा संशोधित किया गया है और जो खंड अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के परिणामस्वरूप विधि का बल रखता है," का लोप किया जाता है ।

[फा. सं. 334/1/2005-टीआरयू]

वि. शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में सा0का0नि0 सं0 117 (अ) तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2005

No. 43/2005-CUSTOMS

G.S.R. 300(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 39/2005- Customs, dated the 2nd May, 2005, and published in the Gazette of India vide number G.S.R. 265(E), dated the 2nd May, 2005, namely:-

In the said notification, in the preamble, the portion beginning with the words and figures "as amended by clause 72" and ending with the words "the force of law,", shall be omitted.

[F.No. 334/1 /2005-TRU]
V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 265(E), dated the 2nd May, 2005

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2005

सं० 44/2005-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 301(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को, उन बातों के सिवाय जो ऐसे विखंडन से पूर्व की गई है या जिन्हें करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है, अर्थात:–

1. अधिसूचना सं0 13/2005–सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005 जो कि भारत के राजपत्र, सा0 का0 नि0 111 (अ), के अंतर्गत तारीख 1 मार्च, 2005 को प्रकाशित हुई थी ।

2. अधिसूचना सं0 17/2005–सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005 जो कि भारत के राजपत्र, सा0 का0 नि0 115 (अ), के अंतर्गत तारीख 1 मार्च, 2005 को प्रकाशित हुई थी ।

3. अधिसूचना सं0 20/2005–सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005 जो कि भारत के राजपत्र, सा0 का0 नि0 118 (अ), के अंतर्गत तारीख 1 मार्च, 2005 को प्रकाशित हुई थी ।

[फा. सं. 334/1/2005-टीआरयू]

वि. शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2005

No. 44/2005-CUSTOMS

G.S.R. 301(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), namely:-

1. No. 13/2005-Customs, dated the 1st March, 2005, which was published in the Gazette of India vide number G.S.R. 111(E), dated the 1st March, 2005;
2. No. 17/2005-Customs, dated the 1st March, 2005, which was published in the Gazette of India vide number G.S.R. 115(E), dated the 1st March, 2005; and
3. No. 20/2005-Customs, dated the 1st March, 2005, which was published in the Gazette of India vide number G.S.R. 118(E), dated the 1st March, 2005,

except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F.No 334/1/2005- TRU]
V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2005

सं० 14/2005-सेवाकर

सा.का.नि. 302(अ).—सेवा निर्यात नियम, 2005 के नियम 5 के अनुसार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 12/2005-सेवा कर, तारीख 19 अप्रैल, 2005 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 240 (अ), तारीख, 19 अप्रैल, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, स्पटीकरण 2 में,-

(i) भाग (ध) के स्थान पर निम्नलिखित भाग प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

" (ध) वित्त् अधिनियम, 2003 (2003 का 32) की धारा 169, वित्त अधिनियम, 2004 (2004 का 13) की धारा 3 और आगे वित्त अधिनियम, 2005 (2005 का 18) की धारा 123 द्वारा संशोधित वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की धारा 136 के तहत उद्ग्रहणीय राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क;";

(ii) भाग (ज) के स्थान पर निम्नलिखित भाग प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

" (ज) वित्त अधिनियम, 2005 (2005 का 18) की धारा 85 के तहत उदग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क ।" ।

[फा0सं0 बी2/4/2004-टीआरयू]

वि. शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं0 12/2005-सेवा कर, तारीख 19 अप्रैल, 2005 में, जो भारत के राजपत्र में सा0का0नि0 सं0 240 (अ) तारीख 19 अप्रैल, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2005

No. 14/2005-SERVICE TAX

G.S.R. 302(E).—In pursuance of rule 5 of the Export of Services Rules, 2005, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 12/2005-Service Tax, dated the 19th April, 2005 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 240 (E), dated the 19th April, 2005, namely:-

In the said notification, in *Explanation* 2,-

(i) in item (d), for the portion beginning with the words and figures "clause 123 of the Finance Bill, 2005" and ending with the words and figures "Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931)" the words and figures "section 123 of the Finance Act, 2005 (18 of 2005)" shall be substituted;

(ii) in item (h), for the portion beginning with the words and figures "clause 85 of the Finance Bill, 2005" and ending with the words and figures "Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931)" the words and figures "section 85 of the Finance Act, 2005 (18 of 2005)" shall be substituted.

[F. No. B2/4/2004-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

Note: The principal notification No. 12/2005-Service Tax, dated the 19th April, 2005 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 240 (E), dated the 19th April, 2005.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.